



NAGAR PALIK NIGAM BHILAI

NIT

जोन क्रमांक-02 अंतर्गत ट्रेक्टर टेंकर से पेयजल प्रदाय कार्य (2024-25)

(ITEM RATE)

S.NO	DETAILS OF ITEM	NO OF TANKER	Days	Trip/Day	QTY
1	जोन 2 अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में ट्रेक्टर टेंकर से पेयजल प्रदाय कार्य (2024-25)				
a	(01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक)	2	30	9	540
b	(01 मई से 31 मई 2024 तक)	3	31	9	837
c	(01 जून से 30 जून 2024 तक)	2	30	9	540
					1917
					
	ASST.ENGINER Nagar Palik Nigam, Bhilai				
					
	SUBENGINEER Nagar Palik Nigam, Bhilai				

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई

जोन क्रमांक ०२ वैशाली नगर

जोन क्रमांक ०२ अंतर्गत ट्रेक्टर टेंकर से पेयजल प्रदाय कार्य (2024-25)

// नियम एवं शर्तें //


1. पेयजल वितरण कार्य हेतु प्रदाय निजी ट्रेक्टर टेंकरों का व्यय (वाहन चालक/हेल्पर सहित) एजेंसी द्वारा स्वयं के व्यय से करेगा एवं एजेंसी को जलप्रदाय, कार्य की सूचना प्राप्ति के 02 घंटे के भीतर कार्य करना होगा।
2. निगम के अधिकारियों द्वारा पेयजल वितरण व्यवस्था के संबंध में समय-समय पर दिये गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. पेयजल वितरण कार्य का लॉगबुक संधारित करना होगा, एवं प्रभारी उपअभियंता से पृविष्टी एवं सहायक अभियंता से सत्यापित करना होगा एवं लॉग बुक देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा।
4. निदान 1100 में प्राप्त शिकायत का निराकरण समय सीमा के अंदर करना आवश्यक होगा। टेंकर द्वारा जलप्रदाय निर्धारित शेड्यूल से 01 घंटे की समय सीमा में न करने की स्थिति में रु. 50.00 प्रति घंटा प्रति ट्रीप विलंब हेतु दंड अधिरोपित किया जावेगा।
5. पेयजल वितरण कार्य हेतु लगे निजी ट्रेक्टर टेंकरों की आर.सी. एवं फिटनेस सर्टिफिकेट, वाहन की बीमा एवं अनिवार्य सभी वैध दस्तावेज अनुबंधित एजेंसी को संलग्न करना अनिवार्य है।
6. पेयजल वितरण कार्य हेतु लगे निजी ट्रेक्टर टेंकरों के वाहन चालकों की ड्राइविंग लाईसेंस एवं अन्य वैध दस्तावेज अनुबंधित एजेंसी को संलग्न करना अनिवार्य है।
7. पेयजल अत्यावश्यक व्यवस्था है इस परिस्थिति में इसकी निरंतरता बनाये रखना आवश्यक होगा, इसके लिए एजेंसी को ट्रेक्टर टेंकर एवं वाहन चालक स्थापन्न के रूप में रखना होगा, ताकि ट्रेक्टर टेंकर खराब होने पर पेयजल प्रदाय व्यवस्था प्रभावित न हो।
8. दर समस्त करों सहित देना होगा, पृथक से कर/शुल्क देय नहीं होगा।
9. पेयजल वितरण कार्य हेतु लगे निजी ट्रेक्टर टेंकर की देखभाल सुरक्षा एवं संधारण की जिम्मेदारी अनुबंधित एजेंसी की होगी।
10. अनुबंधित एजेंसी को प्रतिमाह मासिक देयक कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम भिलाई को प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत देयक से देय करों की कटौती कर देयक का भुगतान किया जावेगा। जी.एस.टी. का भुगतान शासन के नियमानुसार किये जाने एजेंसी बाध्य होगी।
11. कार्य की अवधि में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जा सकेगी, उक्त अवधि में अनुबंधित दरों एवं शर्तों पर कार्य करने हेतु अनुबंधित एजेंसी बाध्य रहेगी।
12. आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए अनुबंधित एजेंसी बाध्य होगी एवं नियम शर्तें यथावत प्रभावशील रहेगी।
13. अनुबंधित एजेंसी को श्रम कानून का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. प्रत्येक देयको से सुरक्षा निधि के रूप में 5 प्रतिशत की राशि अस्थाई रूप से रोकी जावेगी, जिसका भुगतान सफलता पूर्वक कार्य करने पर अंतिम देयक के साथ किया जावेगा।
16. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो इसकी जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं अनुबंधित एजेंसी हेतु बंधनकारी रहेगा।
18. कार्य के दौरान अतिरिक्त टेंकर लगाये जाने की स्थिति में सूचना के उपरांत 24 घंटे की समयावधि ट्रेक्टर/टेंकर उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगी।
19. टेंकर की न्यूनतम छमता 4500 लीटर होना आवश्यक है।
20. किसी कारण से निर्धारित समय अवधि में कार्य किया जाना संभव नहीं है उस स्थिति में उक्ताषय का प्रमाण पत्र जोन के कार्यपालन अभियंता से देयक के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
21. किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा नियम शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में अनुबंध निरस्तीकरण करने की कार्यवाही की जा सकती है।


ज्येष्ठ आयुक्त


नगर पालिक निगम,
भिलाई


कार्यपालन अभियंता

नगर पालिक निगम,
भिलाई


सहायक अभियंता

नगर पालिक निगम,
भिलाई


उप अभियंता

नगर पालिक निगम,
भिलाई